

दिनांक : २६ जून, २०१५

प्रसिद्धी पत्रक

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. (महावितरण कंपनी) करिता वीज वितरणाचा दर

महावितरण कंपनीची आर्थिक वर्ष २०१३-१४ ते आर्थिक वर्ष २०१४-१५ या नियंत्रण कालावधीकरिता बहु-वर्षीय वीज दराचा आढावा आणि आर्थिक वर्ष २०१५-१६ करिता सुधारित वीज दर निश्चित करण्यासाठी याचिका १३ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी आयोगाने दाखल करून घेतली. आयोगाने ग्राहक आणि अन्य सर्व हितसंबंधितांकडून सूचना/हरकती मागविल्या आणि १८ मार्च, २०१५ ते १० एप्रिल, २०१५ या कालावधी दरम्यान अमरावती, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व नवी मुंबई येथे जाहीर सुनावण्या घेतल्या. आयोगाने, हितसंबंधितांनी जाहीर प्रक्रियेमध्ये उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्यांची योग्य दखल घेतली आणि २६ जून, २०१५ चा वीज दर आदेश जारी करण्यात आला आहे. सुधारित वीज दर दिनांक १ जून, २०१५ पासून अंमलात येतील.

आयोगाच्या या वीज दराच्या आदेशांमधील ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत

:-

- १) वीज ग्राहकांवर अनावश्यक वीज दराच्या वाढीचा बोजा पडणार नाही आणि त्याचबरोबर महावितरण कंपनीची आर्थिक स्थिती तसेच ग्राहकांना सेवा पुरविण्याची क्षमता यावर विपरित परिणाम होणार नाही, हे तत्व आयोगाने लक्षात घेतले आहे.
- २) भारत सरकारने अधिसूचित केलेले वीज दर धोरण, वरिष्ठ न्यायालय/विद्युत अपिलीय न्यायाधिकरण यांनी यापूर्वी दिलेले निकाल, मविनिआ बहु-वर्षीय वीज दर विनियम, २०११ आणि विद्युत अधिनियम, २००३ नुसार, आयोगाने

महावितरणची एकूण महसुली गरज आणि ग्राहकांकरिता वर्गवारी-निहाय वीज दर निश्चित केले आहेत.

- ३) आयोगाने, महावितरणने केलेला खर्च, मविनिआ बहु-वर्षीय वीज दर विनियमांमध्ये मान्यता देण्यात आलेल्या प्रमाणकानुसार खर्चाना अनुसरुन मान्य केले आहेत. हे खर्च वितरण हानि, संचालन आणि देखभाल खर्च इ. सारख्या मापदंडांकरिता साध्य करावयाच्या कामगिरीच्या पातळीशी निगडीत आहेत.
- ४) महावितरण कंपनीने त्यांच्या याचिकेमध्ये रु. ४७७७ कोटींची संचयी महसुली तूट दाखविलेली होती. आयोगाने योग्य त्या तपासणीनंतर व अंदाजित महसूल व खर्चाच्या सविस्तर विश्लेषणावर आधारित, महावितरण कंपनीसाठी आर्थिक वर्ष २०१५-१६ करिता संचयी महसुली शिल्लक रु. ३३७६ कोटी मंजूर केली आहे.
- ५) महावितरण कंपनीने याचिका दाखल करताना (फेब्रुवारी २०१५) असलेल्या विद्यमान वीज दरावर आर्थिक वर्ष २०१५-१६ करिता ७.९४ टक्क्यांची वाढ मागितली असली तरी आयोगाने सर्व बाबी तपासून सरासरी वीज दरात ५.७५ टक्क्यांची एकूण कपात केली आहे. तथापि, एप्रिल २०१५ च्या वीज दराच्या तुलनेत, आयोगाने मान्यता दिलेली वीज दरातील एकूण कपात २.४४ % इतकी आहे.
- ६) ही कपात मुख्यतः खालील कारणामुळे करण्यात आली आहे :
 - अ) आयोगाने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ करिता वीज खरेदीचा अंदाज करताना कमी किंमतीची वीज प्रथम खरेदी करण्याचे (मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच) तत्व स्वीकारले आहे. तसेच महावितरण कंपनीने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या दुसऱ्या सहामाही करिता अंदाजित केलेली आधाररहित कृषि विक्रीतील अवाजवी वाढ आयोगाने विचारात घेतली नाही. यामुळे वीज खरेदीवरील रु. ५,३३९ कोटीचा खर्च आयोगाने मान्य केला नाही.

- ब) महावितरण कंपनीने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये रु. ६,३१७ कोटीच्या पारेषण आकारांची मागणी केली असली तरी, आयोगाने स्वतःहून पुढाकार घेतलेल्या सन २०१५ च्या प्रकरण क्र. ५७ मधील राज्यांतर्गत पारेषण यंत्रणेच्या नवीन आदेशामध्ये रु. ३६०९ कोटीच्या पारेषण आकारास मंजूरी दिली. त्यामुळे महावितरण कंपनीच्या पारेषण आकारात रु. २,६९३ कोटीची कपात झाली आहे.
- क) निर्मिती कंपन्या आणि पारेषण कंपन्यांना देय असलेल्या विलंब प्रदान आकारासाठी महावितरण कंपनीने रु. १,९०९ कोटीची मागणी आयोगाने मान्य केली नाही. असे करताना, विविध हितसंबंधितांना अदा करावयाच्या नियमित प्रदानांमध्ये विलंब करण्याच्या आणि त्यामुळे याबाबत त्यानंतर विलंब प्रदान आकार ओढवून घेण्याच्या प्रथेबाबत आयोग तीव्र नाराजी व्यक्त करीत आहे.
- ड) आयोगाचे असे निरीक्षण आहे की, सर्व हितसंबंधितांचा वीज दर हा खर्च-अधिक (कॉस्ट प्लस) पद्धतीने निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे करार किंवा आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे वेळेवर देय रकमांची प्रदाने करण्यात विद्युत कंपन्यांना विलंब का होतो हे आयोगास अद्याप स्पष्ट होत नाही. आयोगाचे असे मत आहे की, हितसंबंधितांनी या प्रथेला आळा घालण्यासाठी एक परिणामकारक योजना आखण्याची आवश्यकता आहे. महावितरणने अशी एक पारदर्शक योजना आखून घावी की, त्यामुळे विलंब प्रदान आकार अदा करण्याची गरज राहणार नाही आणि सर्व हितसंबंधितांना त्यांच्या आर्थिक गरजांचे नियोजन वाजवीरित्या आणि कमी खर्चिक पद्धतीने करणे शक्य होईल.
- इ) सर्व हितसंबंधितांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांनी आयोगाच्या राज्यांतर्गत पारेषण यंत्रणेबाबतच्या आदेशातील (सन २०१५ चे प्रकरण क्र.

- ५७) परिच्छेद क्र. ७९ मध्ये आयोगाने दिलेल्या निर्देशांचे अनुसरण करावे, ज्यामध्ये आयोगाने विलंबित प्रदाने आणि ती नियंत्रित करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसंबंधी विशिष्ट निर्देश निर्गमित केले आहेत.
- ७) महावितरण कंपनीने मागणी केलेल्या सरासरी वीज पुरवठ्याच्या रु. ६.८७ प्रति युनिट खर्चाच्या तुलनेत आयोगाने आर्थिक वर्ष २०१५-१६ करीता सरासरी वीज पुरवठ्यासाठी रु. ६.०३ प्रति युनिट खर्च मंजूर केला आहे.
- ८) महाराष्ट्रामध्ये, शेजारी राज्यांच्या तुलनेत, उद्योगाकरीता (उच्च-दाब आणि लघु-दाब) वीज दर जास्त असल्याबाबत उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केलेल्या मताची आयोगाने दखल घेतली आहे. उद्योगांची स्पर्धात्मकता राखण्यासाठी विजेचा आकार एक महत्त्वाची भूमिका बजावतो. राज्यात उपलब्ध विजेत आणि अंदाजित महसूली शिलकीत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे, आयोगाने उद्योग क्षेत्राकरीता ऊर्जा आकारात रु. ०.४० ते १.२१ प्रति युनिट (ग्राहकांच्या उप-वर्गवारीवर अवलंबून) या मर्यादेत कपात केली आहे आणि मागणी आकारात रु. ०.३ प्रति युनिट ते रु. ०.४ प्रति युनिट या मर्यादेत सिमांतक (मार्जिनल) वाढ केली आहे. यांच्या परिणामस्वरूप उद्योगातील ग्राहक वर्गवारीतील विविध उप-वर्गवारींच्या वीज दरांमध्ये सरासरी ७ टक्के ते १० टक्के कपात झाली आहे. आयोगाला आशा आहे की, ही बाब महाराष्ट्र राज्यातील औद्योगिक विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी उत्प्रेरकाची भूमिका बजावेल.
- ९) आयोगाने निवासी ग्राहकांकरीता विशेषत: दर महिन्याला १०० युनिटपेक्षा कमी वापर असणा-या ग्राहकांकरीता ऊर्जा आकार कमी केले आहेत आणि १०१ ते ३०० युनिटपर्यंत वापर असणा-या ग्राहकांकरीता फक्त सिमांतक (मार्जिनल) वाढ केली आहे, तसेच स्थिर आकारात सिमांतक वाढ केली असली तरी ३०० युनिटपेक्षा कमी विजेचा वापर असणा-या निवासी ग्राहकांकरीता विव्युत देयकातील रकमेत (स्थिर आकार अधिक ऊर्जा आकार) वाढ होणार नाही

याची खात्री करण्यात आली आहे, त्याशिवाय आयोगाने टेलिस्कोपिक टप्प्यांचा लाभ कायम ठेवला असून त्याचा सर्व घरगुती ग्राहकांना फायदा होईल.

- १०) आयोगाने लघु दाब उद्योग (लघु दाब-५) अंतर्गत लघु दाब उद्योग—यंत्रमाग [(लघु दाब-५) (अ)] ही एक उप-वर्गवारी पुनर्जिवीत केली असून त्यामध्ये ऊर्जा आकार, उर्वरित उप-वर्गवारी लघु दाब उद्योग-अन्य [(लघु दाब-५) (ब)] पेक्षा कमी पातळीवर, निश्चित केले आहेत.
- ११) आयोगाने सार्वजनिक सेवा वर्गवारीचे, दोन्ही लघु दाब आणि उच्च दाब वर्गवारीतील दोन उप-वर्गवारीमध्ये - अ) शासकीय शैक्षणिक संस्था व रुग्णालये आणि ब) अन्य सार्वजनिक सेवा, असे विभाजन केले आहे. शासकीय शैक्षणिक संस्था व रुग्णालये या वर्गवारीतील वीज दर सार्वजनिक सेवा - अन्य या वर्गवारीपेक्षा कमी ठेवण्यात आला असून तो विद्युत पुरवठ्याच्या सरासरी खर्चाच्या जवळपास ठेवण्यात आला आहे.
- १२) विशेषत: ग्रामीण भागात, पुरेशा पाण्याचा पुरवठा (पाणी पुरवठा योजनेमार्फत) करण्यासाठी तोंड द्याव्या लागणाऱ्या अडचणी आणि आव्हाने विचारत घेता, सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजना सुकर करण्याची गरज आहे आणि या वर्गवारीसाठी वीज दर हे सरासरी पुरवठा खर्चापेक्षा कमी राखण्यात आले आहेत.
- १३) आयोगाने रेल्वेसाठीचे वीज दर १० टक्क्यांनी कमी केले आहेत. यामुळे राज्यात रेल्वेमार्गाचा विस्तार/विद्युतिकरण करण्यास आणि वाहतुकीतील पायाभूत सोयीसुविधा बळकट करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्याचप्रमाणे राज्यातील सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये अलीकडे नव्याने मेट्रो/मोनोरेलची भर पडल्यामुळे, आयोगाने 'मेट्रो/मोनोरेल' अशी वेगळी वर्गवारी निर्माण केली आहे.

- १४) उच्च-दाब वाणिज्यिक करिता वीज दर ७ ते १० टक्क्यांनी कमी करण्यात आला असून त्याचवेळी वाणिज्यिक वर्गवारीतील कमी वापर असलेल्या ग्राहकांकरिता (२० केडब्ल्यु खाली) वीज दरात १ टक्क्याची सिमांतक वाढ केली आहे. आयोगाला आशा आहे की, या कमी केलेल्या वीज दरांमुळे सेवा क्षेत्राची आणि हॉस्पिटलिटी क्षेत्राची वाढ होऊन रोजगार निर्मितीस मदत होईल.
- १५) महावितरण कंपनीचा कमाल मागणी नसतानाच्या कालावधीतील रात्रीच्या तासांकरिता टीओडी रिबेट २५० पैसे प्रति युनिटपासून १५० पैसे प्रति युनिट कमी करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देताना कमाल मागणी नसतानाच्या कालावधीतील रात्रीच्या तासांकरिता टीओडी रिबेटमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीचा त्याच वर्गवारीतील ग्राहकांसाठी ऊर्जा आकार कमी करण्याची दक्षता आयोगाने घेतली आहे. तथापि, प्रोत्साहनात कपात करण्यासंबंधीचे अन्य सर्व प्रस्ताव आयोगाने नाकारले आहेत.
- १६) महावितरण कंपनीच्या अखंडीत आणि खंडीत वर्गवारीचे पूर्णपणे विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाच्या संबंधात, आयोगाने खंडीत आणि अखंडीत वर्गवारी तशाच पुढे वेगळ्या चालू ठेवण्याचे ठरविले आहे व त्याचबरोबर दोन्ही वर्गवारीतील वीज दरातील फरक कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे भविष्यामध्ये अन्य कोणत्याही वर्गवारीवर विपरित परिणाम न होऊ देता या दोन्ही वर्गवारीचे विलीनीकरण करणे शक्य होईल.
- १७) महावितरण कंपनीने ३३ केव्ही, २२/११ केव्ही आणि लघु दाब पातळीकरिता अनुक्रमे रु. ०.२२ प्रति युनिट, रु.१.२३ प्रति युनिट आणि रु. २.११ प्रति युनिट वहन आकाराची मागणी केली असताना, आयोगाने त्याएवजी वरील व्होल्टेज पातळीकरिता अनुक्रमे रु. ०.१५ प्रति युनिट, रु. ०.८३ प्रति युनिट आणि रु. १.४२ प्रति युनिट वहन आकार मंजूर केले आहेत.

- १८) आयोगाला असे दिसून आले आहे की क्रॉस सबसिडी अधिभार निश्चित करण्याच्या सध्याच्या सूत्रामुळे मुक्त प्रवेश (ओपन ॲक्सेस) घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांना अडचणी निर्माण होत असल्यामुळे विद्युत अधिनियमाचा मूळ उद्देश त्यामुळे सफल होऊ शकत नाही. त्यामुळे, आयोगाने क्रॉस सबसिडी अधिभार निश्चित करण्याच्या सध्याच्या सूत्रापासून फारकत घेण्याचा निर्णय विचारपूर्वक घेतला आहे. यामुळे यापूर्वी लागू केलेल्या सूत्राचा क्रॉस सबसिडीवरील होणारा परिणाम कमी करण्यास आणि मुक्त प्रवेश अधिक सुकर करण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
- १९) महावितरण कंपनीकडे मीटर न बसविलेल्या कृषी जोडण्या मोठ्या प्रमाणावर असून त्यामुळे विद्युत अधिनियमातील कलम ५५ चा भंग होत असल्याची आयोगाने नोंद घेतली आहे. कृषी जोडण्यांवर मीटर बसविण्याचे काम अतिशय जलदपणे पूर्ण करण्याची काळाची गरज असून त्यामुळे कृषी क्षेत्राकडून होणाऱ्या वीज वापराचे अचूक निर्धारण करण्यास आणि त्याचबरोबर वितरण हानिची परिगणना करण्यास देखील मदत होईल. आयोगाने महावितरण कंपनीला असे निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी मीटर न बसविलेल्या कृषी जोडण्यांवर मीटर बसविण्याचे काम पुढील तीन वर्षाच्या कालावधीत अशा रीतीने पूर्ण करावे की आर्थिक वर्ष २०१७-१८ च्या अखेरीस, मीटरशिवाय होणाऱ्या संपूर्ण वीज वापराचे रूपांतर मीटरवर आधारीत वीज वापरात करण्यात येईल.
- २०) संपूर्ण राज्यातील कृषी ग्राहकांना तोंड द्याव्या लागणाऱ्या अडचणीची नोंद घेत आयोगाने मीटर बसविलेल्या कृषी ग्राहकांच्या वीज दरात (रु. ०.०६ प्रति युनिटची) फक्त सिमांतक वाढ केली आहे. तथापि, मीटर न बसविलेल्या कृषी जोडण्यांवर मीटर बसविणे अधिक आकर्षक व्हावे म्हणून आयोगाने मीटरशिवायच्या जोडण्यांवरील वीज दरात वाढ करून मीटर नसलेल्या

जोडण्यांवर मीटर बसविणे आकर्षक केले आहे. अशा रीतीने कृषी पंप जोडणीवर मीटर न बसविलेल्या ग्राहकांना मीटर बसविण्याचा आणि त्याद्वारे कमी वीज दराचा फायदा घेता येईल.

- २१) कृषी क्षेत्राला पाठिंबा देण्याची गरज असल्याची आयोगाला जाणीव आहे. त्यामुळेच आयोगाने सरासरी पुरवळ्याच्या खर्चाच्या तुलनेत कृषी क्षेत्रासाठीचा वीज दर सातत्याने अतिशय कमी पातळीवर ठेवला आहे. आयोगाने कमी पातळीवर निश्चित केलेल्या वीज दराशिवाय, कृषी क्षेत्राला अतिरिक्त दिलासा मिळावा म्हणून महाराष्ट्र शासन विद्युत अधिनियम, २००३ च्या कलम ६५ अंतर्गत थेट सबसिडी देत असल्याची देखील आयोगाला जाणीव आहे. तथापि, अशी सबसिडी मिळत असताना देखील कृषी क्षेत्राकडून येणे असलेल्या रकमेपैकी होणारी वसुली ३८ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या विजेचा वापर हा महावितरण कंपनीकडून करण्यात येणाऱ्या एकूण वीज विक्रीच्या सुमारे २४ टक्के इतका आहे. या कमी वसुलीमुळे विद्युत कंपनीच्या आर्थिक स्थितीवर कमालीचा परिणाम झाला आहे. आयोगाला असे वाटते की, शासनाने या प्रश्नाची गंभीर नोंद घेऊन तो सोडविण्यासाठी तातडीने पावले उचलणे आणि सबसिडीच्या वितरणावर अधिक लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. कदाचित, शासनाने काही पारदर्शक उद्दिष्टांच्या निकषांच्या आधारे कृषी सबसिडीचे वर्गवारीकरण करणे उचित होईल.
- २२) आयोगाने विद्युत अधिनियम, २००३ मधील तरतुदीनुसार ग्राहक वर्गवारीतील अंतर्गत क्रॉस सबसिडीची पातळी कमी केली आहे.
- २३) महावितरणच्या ग्राहकांना आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये लागू असलेल्या विद्यमान आणि सुधारीत वीज दराची तुलना **परिशिष्ट - १** मध्ये देण्यात आली आहे.

- २४) वैयक्तिक ग्राहकांकरिता त्यांच्या विद्युत देयकातील रकमेत विद्युत दरातील सुधारणेमुळे होणारा बदल दाखविण्यासाठी नमुना परिगणना **परिशिष्ट - २** मध्ये देण्यात आली आहे.
- २५) महावितरण कंपनीच्या बहु-वर्षीय वीज दराच्या याचिकेवरील आयोगाचा आदेश आयोगाच्या www.mercindia.org.in/www.merc.gov.in या संकेत-स्थळावरुन उतरवून घेता येईल.

ANNEXURE 1

Category-wise Tariff for MSEDC's consumers effective from 1 June, 2015 for FY 2015-16

| Category | Unit (For Fixed / Demand Charge) | MSEDC Existing Tariff (applicable in April 2015) | | MSEDC Revised Tariff (FY 2015-16, effective 1 June, 2015) | |
|--|---|--|---|---|-------------------------------|
| | | Fixed / Demand Charge | Energy Charges (Incl. FAC) Rs. / kWh | Fixed / Demand Charge | Energy Charge Rs. / kWh |
| LT Category | | | | | |
| LT I – Residential | | | | | |
| BPL (0-30 Units) | Rs. / Connection / Month | 10 | 0.87 | 10 | 0.87 |
| Consumption > 30 Units per month | \$ single phase / # three phase | | | | |
| 1-100 Units | Rs. / Connection / Month | 40 | 3.86 | 50 ^{\$} /150 [#] | 3.76 |
| 101-300 Units | Rs. / Connection / Month | 40 | 7.20 | 50 ^{\$} /150 [#] | 7.21 |
| 301-500 Units | Rs. / Connection / Month | 40 | 9.50 | 50 ^{\$} /150 [#] | 9.95 |
| 501-1000 Units per month | Rs. / Connection / Month | 40 | 10.33 | 50 ^{\$} /150 [#] | 11.31 |
| Above 1000 Units per month | Rs. / Connection / Month | 40 | 11.01 | 50 ^{\$} /150 [#] | 12.50 |
| LT II - Non Residential | | | | | |
| ≤20 kW (0-200 Units per month) | Rs. / Connection / Month | 190 | 6.70 | 220 | 6.60 |
| ≤20 kW (Above 200 Units per month) | Rs. / Connection / Month | 190 | 9.71 | 220 | 9.62 |
| >20-50 kW (All Units) | Rs./kVA /Month | 190 | 9.87 | 220 | 10.20 |
| >50 kW (All Units) | Rs./kVA /Month | 190 | 12.73 | 220 | 13.01 |
| LT III - Public Water Works (PWW) | | | | | |
| 0-20 kW | Rs./kVA /Month | 50 | 2.72 | 60 | 2.70 |
| >20-40 kW | Rs./kVA /Month | 60 | 3.58 | 70 | 3.80 |
| >40 kW | Rs./kVA /Month | 90 | 4.81 | 105 | 5.00 |
| LT IV - Agriculture | | | | | |
| LT IV(A) - Agriculture Pump sets – Un-metered | | | | | |

| Category | Unit (For Fixed / Demand Charge) | MSEDCL Existing Tariff (applicable in April 2015) | | MSEDCL Revised Tariff (FY 2015-16, effective 1 June, 2015) | |
|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| | | Fixed / Demand Charge | Energy Charges (Incl. FAC) Rs. / kWh | Fixed / Demand Charge | Energy Charge Rs. / kWh |
| Zones with (Above 1318 Hrs/HP/Annum) | | | | | |
| 0-5 HP | Rs. / HP / Month | 352 | | 374 | |
| Above 5 HP | Rs. / HP / Month | 382 | | 406 | |
| Zones with (Below 1318 Hrs/HP/Annum) | | | | | |
| 0-5 HP | Rs. / HP / Month | 266 | | 283 | |
| Above 5 HP | Rs. / HP / Month | 291 | | 310 | |
| LT IV(B) - Agriculture Pump sets - Metered | Rs. / HP / Month | 20 | 2.52 | 20 | 2.58 |
| LT IV(C) - Agriculture Others- Metered | Rs. / kW / Month | | | 50 | 3.60 |
| LT V – Industry | | | | | |
| LT V(A) - Industry - Power Looms | | | | | |
| 0-20 kW | Rs. / Connection / Month | | | 220 | 5.43 |
| Above 20 kW | Rs./kVA /Month | | | 150 | 6.88 |
| LT V(B) - Industry – General | | | | | |
| 0-20 kW | Rs. / Connection / Month | 190 | 5.91 | 220 | 5.51 |
| Above 20 kW | Rs./kVA /Month | 130 | 8.08 | 150 | 6.98 |
| LT VI - Street Lighting | | | | | |
| Grampanchayat A, B & C Class Municipal Council | Rs. / kW / Month | 40 | 4.70 | 50 | 4.78 |
| Municipal Corporation Area | Rs. / kW / Month | 40 | 5.66 | 50 | 5.80 |
| LT VII - Temporary | | | | | |
| LT VII (A) - Temporary Supply Religious - TSR | Rs./kVA /Month | 250 | 3.71 | 290 | 3.71 |
| LT VII (B) - Temporary Supply Others - TSO | Rs./kVA /Month | 310 | 17.12 | 360 | 15.00 |
| LT VIII - Advertisements and Hoardings | Rs. / Connection / Month | 500 | 23.15 | 575 | 17.00 |
| LT IX - Crematorium & Burial | Rs. / Connection / Month | 250 | 3.82 | 290 | 3.91 |
| LT X - Public Services | | | | | |

| Category | Unit (For Fixed / Demand Charge) | MSEDCL Existing Tariff (applicable in April 2015) | | MSEDCL Revised Tariff (FY 2015-16, effective 1 June, 2015) | |
|---|---|---|---|--|-------------------------------|
| | | Fixed / Demand Charge | Energy Charges (Incl. FAC) Rs. / kWh | Fixed / Demand Charge | Energy Charge Rs. / kWh |
| LT-X (A) Public Services - Government Educational Institutions & Hospitals | | | | | |
| ≤20 kW (0 -200 Units) | Rs. / Connection / Month | | | 220 | 4.54 |
| ≤20 kW (Above 200 Units) | Rs. / Connection / Month | | | 220 | 5.84 |
| >20-50 kW | Rs./kVA /Month | | | 220 | 6.50 |
| >50 kW | Rs./kVA /Month | | | 220 | 7.20 |
| LT-X (A) Public Services – Others | | | | | |
| ≤20 kW (0 -200 Units) | Rs. / Connection / Month | 190 | 6.09 | 220 | 4.92 |
| ≤20 kW (Above 200 Units) | Rs. / Connection / Month | 190 | 8.95 | 220 | 7.22 |
| >20-50 kW | Rs./kVA /Month | 190 | 8.85 | 220 | 7.32 |
| >50 kW | Rs./kVA /Month | 190 | 9.36 | 220 | 7.68 |
| HT Category | | | | | |
| HT I – Industry | | | | | |
| HT I (A) - Industry (Express Feeder) | Rs./kVA /Month | 190 | 8.41 | 220 | 7.21 |
| HT I (B) - Industry (Non- Express Feeder) | Rs./kVA /Month | 190 | 7.60 | 220 | 6.71 |
| HT I (C) - Seasonal Industry | Rs./kVA /Month | 190 | 9.35 | 220 | 7.80 |
| HT II - Commercial | | | | | |
| (A) Express Feeder | Rs./kVA /Month | 190 | 12.54 | 220 | 11.15 |
| (B) Non-Express Feeder | Rs./kVA /Month | 190 | 11.80 | 220 | 10.62 |
| HT III – Railways | | - | 9.37 | - | 8.46 |
| HT IV - Public Water Works (PWW) | | | | | |
| (A) Express Feeder | Rs./kVA /Month | 190 | 5.92 | 220 | 5.64 |
| (B) Non-Express Feeder | Rs./kVA /Month | 190 | 5.68 | 220 | 5.42 |
| HT V - Agricultural | Rs./kVA /Month | 30 | 3.24 | 30 | 3.32 |
| HT VI - Bulk Supply (Residential) | Rs./kVA /Month | 160 | 5.78 | 220 | 5.81 |

| Category | Unit (For Fixed / Demand Charge) | MSEDCL Existing Tariff (applicable in April 2015) | | MSEDCL Revised Tariff (FY 2015-16, effective 1 June, 2015) | |
|--|---|---|---|--|-------------------------------|
| | | Fixed / Demand Charge | Energy Charges (Incl. FAC) Rs. / kWh | Fixed / Demand Charge | Energy Charge Rs. / kWh |
| HT VIII - Temporary | | | | | |
| HT VIII (A) - Temporary Supply (Religious) | Rs. / Connection / Month | 250 | 3.71 | 290 | 3.71 |
| HT VIII (B) - Temporary Connection (Others) | Rs. / Connection / Month | 250 | 14.56 | 290 | 12.50 |
| HT IX - Public Services | | | | | |
| HT-IX (A) Public Services - Government Educational Institutions & Hospitals | | | | | |
| (i) Express Feeder | Rs./kVA /Month | | | 220 | 7.20 |
| (ii) Non-Express Feeder | Rs./kVA /Month | | | 220 | 6.60 |
| HT-IX (B) Public Services – Others | | | | | |
| (i) Express Feeder | Rs./kVA /Month | 190 | 9.33 | 220 | 8.89 |
| (ii) Non-Express Feeder | Rs./kVA /Month | 190 | 8.69 | 220 | 8.41 |
| HT X – Ports | Rs./kVA /Month | 190 | 11.11 | 220 | 10.91 |
| HT XI - Metro / Monorail | Rs./kVA /Month | | | 220 | 8.46 |

ToD Tariffs (in addition to above base tariffs)

- **compulsory** for HT I, HT II, HT IV and HT IX categories
- **compulsory for** LT II (B), LT II (C), LT III, LT V (A) (ii), LT V (B) (ii), LT X (A) (ii), LT X (A) (iii), LT X (B) (ii) and LT X (B) (iii) categories
- **optional for** LT II (A), LT V (A) (i), LT V (B) (i), LT X (A) (i) and LT X (B) (ii) categories

| | | |
|---|--|-------|
| 2200 Hrs – 0600 Hrs | | -1.50 |
| 0600 Hrs – 0900 Hrs & 1200 Hrs – 1800 Hrs | | 0.00 |
| 0900 Hrs – 1200 Hrs | | 0.80 |
| 1800 Hrs – 2200 Hrs | | 1.10 |

| Category | Existing | | Approved in this Order | | Assumed Monthly Consumption (kWh) | Existing | | Approved in this Order | | Change | | | Number of Consumers | Energy Sale MU |
|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------|---------|---|---------------------|----------------|
| | Fixed / Demand Charge | Energy Charge (Rs./kWh) | Fixed / Demand Charge | Energy Charge (Rs./kWh) | | Total Amount (Rs.) | PU Rate (Rs./kWh) | Total Amount (Rs.) | PU Rate (Rs./kWh) | Rs. | PU Rate | % | | |
| LT Category | | | | | | | | | | | | | | |
| LT X: LT - Public Services | | | | | | | | | | | | | | |
| LT X (A): LT - Public Services - Government | | | | | 200 | 4.54 | | | | | | | | |
| <20 kW (0 -200 Units) | | | | | 200 | 4.54 | | | | | | | | |
| <20 kW (Above 200 Units) | | | | | 200 | 5.84 | | | | | | | | |
| >20 to ≤ 50 kW | | | | | 200 | 6.50 | | | | | | | | |
| >50 kW | | | | | 200 | 7.20 | | | | | | | | |
| LT X (B): LT - Public Services - Others | | | | | | | | | | | | | | |
| <20 kW (0 -200 Units) | 190 | 6.09 | 220 | 4.92 | 200 | | | | | | | | | |
| <20 kW (Above 200 Units) | 190 | 8.95 | 220 | 7.22 | 200 | | | | | | | | | |
| >20 to ≤ 50 kW | 190 | 8.85 | 220 | 7.32 | 200 | | | | | | | | | |
| >50 kW | 190 | 9.36 | 220 | 7.68 | 200 | | | | | | | | | |
| HT Category | | | | | | | | | | | | | | |
| HT I: HT - Industry | | | | | | | | | | | | | | |
| HT I (A): HT - Industry (Express Feeder) | 190 | 8.41 | 220 | 7.21 | 6,76,800 | | | | | | | | | |
| HT I (B): HT - Industry (Non-Express Feeder) | 190 | 7.60 | 220 | 6.71 | 6,76,800 | | | | | | | | | |
| HT I (C): HT - Seasonal Industry | 190 | 9.35 | 220 | 7.80 | | | | | | | | | | |
| HT II: HT - Commercial | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) Express Feeder | 190 | 12.54 | 220 | 11.15 | 5,76,000 | | | | | | | | | |
| (B) Non-Express Feeder | 190 | 11.80 | 220 | 10.62 | 5,76,000 | | | | | | | | | |
| HT III: HT - Railways | - | 9.37 | - | 8.46 | 30,00,000 | | | | | | | | | |
| HT IV: HT - Public Water Works (PWW) | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) Express Feeder | 190 | 5.92 | 220 | 5.64 | 1,29,600 | | | | | | | | | |
| (B) Non-Express Feeder | 190 | 5.68 | 220 | 5.42 | 2,59,200 | | | | | | | | | |
| HT V: HT - Agriculture | 30 | 3.24 | 30 | 3.32 | 62,500 | | | | | | | | | |
| HT VI: HT - Bulk Supply (Residential) | 160 | 5.78 | 220 | 5.81 | 60,000 | | | | | | | | | |
| HT VIII: HT - Temporary Supply | | | | | | | | | | | | | | |
| HT VIII (A): HT - Temporary Supply Religious (T) | 250 | 3.71 | 290 | 3.71 | | | | | | | | | | |
| HT VIII (B): HT - Temporary Supply Others (TSC) | 250 | 14.56 | 290 | 12.50 | 22,500 | | | | | | | | | |
| HT IX: HT - Public Services | | | | | | | | | | | | | | |
| HT-IX (A): HT - Public Services - Government | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) Express Feeder | 190 | 9.33 | 220 | 7.20 | 1,29,600 | | | | | | | | | |
| (ii) Non-Express Feeder | 190 | 8.69 | 220 | 6.60 | 2,59,200 | | | | | | | | | |
| HT IX (B): HT - Public Services - Others | | | | | | | | | | | | | | |
| (i) Express Feeder | 190 | 9.33 | 220 | 8.89 | 1,29,600 | | | | | | | | | |
| (ii) Non-Express Feeder | 190 | 8.69 | 220 | 8.41 | 2,59,200 | | | | | | | | | |
| HT X: HT - Ports | 190 | 11.11 | 220 | 10.91 | 32,90,000 | | | | | | | | | |
| HT XI: HT - Metro / Monorail | | | | | | | | | | | | | | |

Note: 1. The above working reflect the impact on Individual Bills, primarily based on the assumptions considered by MSEDCL in its Petition.

2. The revised Tariff workings are excluding FAC.